



षोडश बिहार विधान सभा  
द्वितीय सत्र  
ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-14.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- |   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <p>1. श्री विजय कुमार सिन्हा,<br/>संवि०स०<br/>श्री रविन्द्र यादव,<br/>संवि०स०<br/>श्री दिनकर राम,<br/>संवि०स०</p> | <p>लखीसराय जिलान्तर्गत सभी पंचायतों में डीलर की बहाली प्रक्रियाधीन है। यहाँ नियम को अनदेखी कर डीलरों को बहाली हो रही है एवं बहाली में पदाधिकारियों एवं दलाल बिचौलियों के मिलीभगत से अवैध वसुली भी की जा रही है।</p> | <p>खाद्य एवं उपभोग्यता संरक्षण</p> |
|---|---|------------------------------------|

अतः जनहित में लखीसराय में डीलरों की बहाली में हो रही अनियमितता को रोकने तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री अखतरकल इस्लाम शाहीन, सं०वि०स०

समस्तीपुर जिला आबादी एवं क्षेत्रफल को दृष्टि से काफी बड़ा जिला है। जिला मुख्यालय में अवस्थित सदर अस्पताल, जो रेफरल अस्पताल के धवन एवं संसाधन से दूरकों से संचालित है, बढ़ती जनसंख्या व मरीजों की संख्या को वहन करने में सक्षम नहीं है। जिला में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नहीं होने से लोगों को खासकर गरीबों को इलाज करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है एवं मरीजों को संसाधन के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिला में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की घोषणा विभागीय स्तर पर की जा चुकी है एवं विशेषज्ञों की टीम ने राजियारपुर अंचल स्थित देवद्वाल चौर जहाँ लगभग 600 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है एवं एन.एच.-28 तथा अन्य सड़क मार्गों से काफी करीब है, को उपयुक्त पाया। परन्तु आज तक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

स्वास्थ्य

अतः जनहित में समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

राजीव कुमार

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/16- 456 / वि०स०, पटना, दिनांक-10 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकसुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाभिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*M.K.*  
10.3.16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/16- 456 / वि०स०, पटना, दिनांक-10 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवालय के कार्यालय के क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनाार्थ प्रेषित।

*M.K.*  
10.3.16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

*M.K.*  
10.3.16